

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **पड़ना**.....प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- **274/2021**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का **पड़ना**....., भू अ0नि0 वृत्त **पड़ना**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **पड़ना**..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध **2076**..... के खाता संख्या **1102, 1106** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पड़ना	1102 1106	राजकीय पाठशाला व राजकीय छात्रागृह विद्यालय पड़ना	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ना

A1
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(274)2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **29/10/2021**

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **शांत प्रसाद सिंह पड़ना** को सूचनार्थ।

A1
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

